


23.5.24

पत्रावली पेश हुई। प्राणी अधिकार अधिनियम के प्रकरण नामकायमी हेतु नियत है। प्राणी-अधिकार का नामकायमी हेतु अंतिम अवसर दिया गया। बाकजुट शुद्ध नामकायमी नहीं कराई गई है। प्रकरण का मूल वाद अदम दायरी. अदम पैरवी में खारिज किया गया है जिससे दस्तगत प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः प्रार्थना पर अदम दायरी. अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय सेरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फूल शुमा होडा नम्बर से कम है।


(रिया डबी)
IAS

